199 39 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों में केंन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले कर्मचारियों का वेतन संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी का उपर्युक्त विषयक लोग उद्यम विभाग के दिनांक 14.10.2008 तथा 20.01.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों का उल्लेख करने तथा संबंधित केंद्रीय सरकार उद्यमों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/04/2008–स्था (भत्ता) की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.10.2008 तथा 20.01.2009 के कार्यालय ज्ञापनों के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.09.2008 तथा 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लिखित शर्तों का अनुसरण किया जाएगा।

3. इसके अतिरिक्त, इन लाभों/भत्तों की स्वीकृति देते समय लोग उद्यम विभाग के दिनांक 20.01.2009 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा '3' में उल्लिखित प्रकिया एवं शर्तो का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. केंद्रीय सकरार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को केंद्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले और अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों (मूलतः लोक उद्यम विभाग के दिनांक 12.06.1990 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित 69 उद्यम) के ध्यान में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ला देने का अनुरोध किया जाता है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (54)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**XII**/2011, दिनांक 13 जून 2011)

*****

सं. 12011/04/2008–स्थापना (भत्ता)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 11 सितंबर 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें – विकलांग महिलाओं के लिए बाल देख–रेख हेतु विशेष भत्तों और सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों के लिए शैक्षणिक भत्ते से संबंधित निर्णयों का कार्यान्वयन

विकलांग महिला कर्मचारियों, विशेष रूप से उस समय जब उनके बच्चे छोटे और विकलांग हैं, को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति जी निम्नलिखित अनुदेश जारी करते हैं :–

(i) विकलांग महिला कर्मचारियों को बाल देख–रेख के लिए विशेष भत्ते के रूप में 1000 रु. प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा। इस भत्ते का भुगतान बच्चे के जन्म से लेकर दो वर्ष की आयु पूरी करने तक किया जाएगा।

(ii) इसका भुगतान अधिकतम दो बच्चों के लिए किया जाएगा।

(iii) असक्तता/विकलांगता का आशय कल्याण मंत्रालय की दिनांक 01.06.2001 की अधिसूचना संख्या 16–18/97–एनआई I (अनुबंध) में यथा उल्लिखित 40% की न्यूनतम असक्तता वाले किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है।

(iv) यह सीमा नए वेतन ढांचे में महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाने की स्थिति में हर बार अपने आप 25% तक बढ़ जाएगी।

2. सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों के लिए शैक्षणिक भत्ते के प्रतिपूर्ति का भुगतान सामान्य विहित दरों से दोगुनी दरों पर किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों के लिए बाल शिक्षण भत्ते की

प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित वार्षिक सीमा 24000 रुपए है। शेष शर्तें उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 02 सितंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/03/2008–स्थापना (भत्ता) में दिए अनुसार यथावत लागू होंगी।

3. असक्तता/विकलांगता का आशय कल्याण मंत्रालय की दिनांक 01.06.2001 की अधिसूचना संख्या 16–18/97–एनआई I (अनुबंध) में यथा उल्लिखित 40% की न्यूनतम असक्तता वाले किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है।

4. ये आदेश 01 सितंबर 2008 से लागू होंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखाविभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, तो ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

6. इसका हिंदी संस्करण भी जारी किया जाएगा।

(डीपीई का का. ज्ञा. सं. 2 (54)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**XII**/2011, दिनांक : 13 जून 2011)

*****